दीपक कुमार अग्रवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उमरिया (म.प्र.)

कमांक 757(1) / C.J.M. / 2025 उमरिया दिनांक 13.12.2025

::रिमांड ड्यूटी::

मैं **दीपक कुमार अग्रवाल,** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमरिया म0प्र0, धारा 12 एवं 13 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा म0प्र0 दाण्डिक नियम एवं आदेश के नियम 31 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला उमरिया के लिए **माह जनवरी एवं फरवरी 2026** में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अवकाश के दिनों में निम्नानुसार रिमाण्ड ड्यूटी लगाता हूँ:–

क.	रिमाण्ड ड्यूटी की तारीख	न्यायिक मजिस्ट्रेटों के नाम
1	1, 11 जनवरी व 15 फरवरी 2026	श्रीमती वीणा खलखो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया
2	17, 18 जनवरी व 21, 22 फरवरी 2026	श्री आशीष धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया
3	25, 26 जनवरी व 7, 8 फरवरी 2026	श्रीमती पल्लवी सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया
4	3, 4 जनवरी व 1 फरवरी 2026	श्री सरफराज खान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया
5	मानपुर न्यायालय की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त सभी अवकाश दिवसों में	श्री अपूर्व मेहरोत्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मानपुर
6	1, 17, 18, 25 जनवरी व 1, 21, 22 फरवरी 2026	श्री गोपालनंदन पाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिरसिंहपुर पाली
7	3, 4, 11, 26 जनवरी 7, 8, 15 फरवरी 2026	सुश्री पूजा गोले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिरसिंहपुर पाली

टीपः– 1. न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी दोपहर पश्चात 3:00 बजे से 5:00 बजे तक अपने न्यायालय कक्ष में अपने कर्मचारियों के साथ उपस्थित होकर सम्पादित करेंगे।

2. किसी कारणवश उक्त कार्य सम्पन्न करने की असमर्थता की स्थिति में अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में वह वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित कर मुख्यालय अनुमति मिलने के पश्चात, इस न्यायालय को सूचित कर मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे।

3. रिमाण्ड अवधि में आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित न्यायिक अधिकारी सी.जे.एम. को लिखित सूचना देने एवं मुख्यालय अनुमति मिलने के उपरान्त ही रिमाण्ड ड्यूटी से विरत होंगे।

4. यदि इस बीच कोई **अतिरिक्त शासकीय** अवकाश घोषित होता है तो 1. मुख्यालय उमरिया में माह जनवरी में श्री सरफराज खान जेएमएफसी व माह फरवरी में श्री आशीष धुर्वे जेएमएफसी 2. तहसील पाली में माह जनवरी में श्री गोपाल नंदन पाल जेएमएफसी एवं माह फरवरी में सुश्री पूजा गोले जेएमएफसी 3. मानपुर में श्री अपूर्व मेहरोत्रा जेएमएफसी उक्त दिवस की रिमांड डयूटी संपादित करेंगे।

5. उक्त रिमांड डयूटी अनुसार संबंधित न्यायालय में पदस्थ कर्मचारीगण अपने–अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहेंगे।

6. यदि कोई सार्वजनिक अवकाश निरस्त होकर उसके आगामी कार्य दिवस या पूर्व के कार्य दिवस में परिवर्तित होता है तो संबंधित अवकाश को नियत की गई रिमांड करने वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा ही रिमांड डयूटी उस अनुसार की जावेगी।

7. रिमांड डयूटी में परिवर्तन अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अनुज्ञात किया जा सकता है।

दीपक कुमार अग्रवाल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला उमरिया (म0प्र0)

पृष्ठांकन कमांक /C.J.M./2025 उमरिया दिनांक 13.12.2025

प्रतिलिपिः—

1. पुलिस अधीक्षक, जिला उमरिया म0प्र0।
2. श्रीमती वीणा खलखो, जेएमएफसी जिला उमरिया म0प्र0।
3. श्री आशीष धुर्वे, जेएमएफसी उमरिया जिला उमरिया म0प्र0।
4. श्रीमती पल्लवी सिंह, जेएमएफसी जिला उमरिया म0प्र0।
5. श्री सरफराज खान, जेएमएफसी जिला उमरिया म0प्र0
6. अपूर्व मेहरोत्रा, जेएमएफसी मानपुर जिला उमरिया म0प्र0।
7. सुश्री पूजा गोले जेएमएफसी बिरसिंहपुर पाली जिला उमरिया।
8. श्री गोपाल नंदन पाल, जेएमएफसी बिरसिंहपुर पाली जिला।
9. अध्यक्ष अधिवक्ता संघ जिला उमरिया म0प्र0।
10. निष्पादन लिपिक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय उमरिया की ओर मान्नीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने बावत्।
11. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय उमरिया की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. जिला नाजिर उमरिया की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे रिमांड डयूटी के समय मेन गेट एवं न्यायालय कक्ष खुलवाये।

13/12/2025

दीपक कुमार अग्रवाल
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला उमरिया (म0प्र0)